निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

कार्यालय – थाना कार्यालय, मोहनिया

निरीक्षण की तिथि - 03.07.2004

डा0 बी0 राजेन्दर, भा.प्र.से.
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

डॉ0बी0राजेन्दर,समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,कैमूर (भभुआ) द्वारा दिनांक 03.07. 2004 को मोहनियॉ थाना का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी

1. परिचय

मोहनियॉ थाना जिला मुख्यालय कैमूर (भभुआ) से 15 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–2 (जी0टी0रोड़) पर अवस्थित है। मोहनियॉ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दो रेलवे स्टेशन भी हैं, (1) भभुआ रोड़, (2) पुसौली। भभुआ रोड़ रेलवे स्टेशन पर इस पथ से चलने वाली सभी प्रमुख रेलगाड़िया रूकती है। जी0टी0 एवं रेलवे स्टेशन अवस्थित होने के कारण यह थाना आवागमन की सुविधा से युक्त है। पूर्व से यह सिर्फ थाना के रूप में था, लेकिन वर्त्तमान समय मोहनियॉ अनुमण्डल के रूप मे कार्यरत हैं।

इस थाना का सृजन किस अधिसूचना से हुआ एवं यह कब से कार्यरत है इसकी कोई सूचना इस थाना में उपलब्ध नहीं है। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। यदि जिला मुख्यालय से सूचना नहीं प्राप्त होती है तो आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय से अथवा गृह (आरक्षी) विभाग से प्राप्त कर संधारित करें।

लगभग 10 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद न तो निरीक्षण टिप्पणी तैयार की गयी है और न ही सभी आवश्यक कागजात व्यवस्थित किये गये है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। थाना प्रभारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। निदेश दिया गया कि उच्चाधिकारीके निरीक्षण की जानकारी होने के बाद पूर्व से ही निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर लिया जाय और अन्य सभी आवश्यक कागजात व्यवस्थित कर लिये जाय।

2. भवन

मोहनियॉ थाना राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–2 पर स्थित अपने भवन में कार्यरत है। यह भवन बहुत पुराना है तथा जीर्णशीर्ण अवस्था में है। वर्षा के दिन में पानी चूने से इसमें रखे गये महत्वपूर्ण दस्तावेज खराब हो रहे है। इस भवन की मरम्मति आवश्यक है। थाना में एक दूरभाष कार्यरत है। थाना की चहारदिवारी दी गयी है। उसी चहारदिवारी के अन्दर थाना प्रभारी मोहनियॉ अपने परिवार के साथ आवासित है। आरक्षी निरीक्षक का कार्यालय भी इसी भवन में अवस्थित है। थाना भवन की मरम्मति हेतु प्रबंधक,निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को पत्र लिखें। पुरूष एवं महिला के लिए अलग हाजत है।

3. प्रभार

श्री रजीत कुमार सिंह, दिनाक 22.01.2004 से थाना प्रभारी मोहनियॉ के प्रभार में है। इनके पूर्व श्री शशिभूषण प्रसाद,थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे। पूर्व में पदस्थापित थाना प्रभारियो की विवरणी नहीं तैयार की गयी है और न ही उत्तराधिकार पट्ट तैयार किया गया है। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों का उत्तराधिकार पट्ट सधारित करने के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें। थाना मे उत्तराधिकार पट्ट का रहना आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि किस अवधि मे कौन थाना प्रभारी पदस्थापित रहे है।

4. स्थापना

मोहनियॉ थाना के लिए स्वीकृत बल कार्यरत बल एवं रिक्ति संबंधी सूचना की मांग किये जाने पर थाना प्रभारी,मोहनियॉ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस थाना के लिए स्वीकृत बल, पदस्थापन की स्थिति एवं रिक्ति संबधी सूचना उपलब्ध करायें।

5. पूर्व निरीक्षण

निरीक्षण के समय इस थाना का पूर्व में किये गये निरीक्षण संबंधी विवरणी की मांग किये जाने पर थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। सरकारी नियमानुसार किसी भी पदाधिकारी द्वारा कार्यालय का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी को गार्ड फाईल में सधारित करने का प्रावधान है। लेकिन इस थाना मे इसको गार्ड फाईल में सधारित नहीं किया गया हैं । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि पूर्व मे किये गये सभी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी को गार्ड फाईल में संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावे।

6. थाना दैनिकी

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म स0–15 में थाना दैनिकी सधारित की गयी हैं। मोहनियॉ थाना दैनिकी का बुक न0–4540 सधारित है,जो क्रमांक–0453901 से लेकर 0454000 तक हैं। थाना दैनिकी दो प्रति में तैयार किये जाने का प्रावधान है,जिसकी कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक को भेजना है तथा आरक्षी निरीक्षक द्वारा महीने भर की दैनिकी संकलित कर महीने के अंत मे आरक्षी अधीक्षक को भेजा जाना है। थाना दैनिकी मे प्रत्येक दो घटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यह कार्य 08:00 बजे पूर्वा0 से प्रारम्भ होकर दुसरे दिन 08:00 बजे पूर्वा0 तक अर्थात 24 घटे चलता है। थाना दैनिकी में थाना के अन्दर जो घटनायें

घटित होती है उसकी प्रविष्टि की जाती है। थाना दैनिकी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थाना दैनिकी के क्रमांक–0453901 से 0454000 का अवलोकन किया। इस सबंध में निम्नाकित निदेश दिये गये:–

1. यदि किसी दखलकार को दखल दिलाया जाय तो उसकी प्रविष्ट दैनिकी मे अकित की जाय।
2. थाना दैनिकी 30.06.2004 तक लिखा गया है तीन दिनों में थाना दैनिकी नहीं लिखा हुआ पाया,जबकि प्रत्येक दो घटे के अन्तराल पर लिखा जाना है। थाना प्रभारी इस सबध में में अपना स्पष्टीकरण दें एव प्रत्येक दो घटे पर नियमित रूप से इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करे।

7. फिरारी पंजी

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म सं0–16 में फिरारी पजी सधारित करना है। इस थाना मे कुल 02 फिरारी है। पहला फिरारी जोखन राम है जो वर्ष 1998 से फरार है। इसके पजी मे इसके संबध में 20.12.2002 के बाद से कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। दूसरा फिरारी बैद्यनाथ राम है जो वर्ष 1998 से फरार है। यह भी 29.12.2002 के बाद नहीं लिखा गया है। निदेश दिया गया कि सभी फिरारियों के यहॉ प्रेत्यक 15 दिन पर जाना है और उसका भौतिक सत्यापन करना है। लेकिन फिरारी पजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना प्रभारी मोहनियॉ वर्ष 2000 के बाद एक दिन भी फिरारियों का भौतिक सत्यापन हेतु नहीं गये है। थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि यह पंजी दो भाग में संधारित किया जाना है जिसके भाग 1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एव भाग 2 में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है। अतः इस हेतु सघन अभियान चलाकर औचक रूप से छापामारी करें एव गुप्तचर के द्वारा उनके उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें। फिरारी पजी में दर्ज करने हेतु आरक्षी अधीक्षक को नये प्रस्ताव भेजें।

8. गिरफ्तार अपराधियों की पंजी

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0–31 ए में इस पजी का सधारण करना है किन्तु इस थाना में जनवरी,2004 के बाद इस पंजी में कोई प्रविष्टि अंकित नही की गयी है। माह जनवरी,2004 मे गिरफ्तार किये गये अपराधियो की सख्या 10 है। इस पंजी मे अद्यतन प्रविष्टि नहीं दर्ज करना एक गम्भीर बात है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पजी है। इसमे प्रविष्टि अकित नहीं रहने से गिरफ्तार किये गये अपराधियों की स्थिति से सबंधित कोई जानकारी नही हो पा रहा है। थाना प्रभारी इस सबध में अपना स्पष्टीकरण दें कि जनवरी 2004 के बाद यह पंजी अबतक क्यों नहीं लिखी गयी है।

9. रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म स0–50 मे इस पजी को सधारित करना है। इस थाना में इस पंजी को सधारित किये जाने की बात बतायी गयी परन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया। पजी उपलब्ध

नहीं होने के कारण उसका अवलोकन एवं समीक्षा नहीं की जा सकी । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि माहवार प्राप्त,निष्पादित एवं लम्बित वारंटों की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन ~~अधोहस्ताक्षरी के~~ अवलोकनार्थ प्रेषित करें । इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया कि अकार्यान्वित वारंटों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें ताकि अपराधियों का मनोबल टूट जाय और शान्ति व्यवस्था बनी रहे ।

10—रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाइसेन्स

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत् फार्म संख्या—25 में इस पंजी को संधारित किया जाना है । यह पंजी संधारित की गयी है लेकिन विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के अन्तर्गत प्रत्येक 6 महीना पर इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र कार्यालय से किया जाना है परन्तु इस पंजी का सत्यापन दिनांक—28.02.2003 के बाद नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से इसका सत्यापन जिला सामान्य शाखा से कराकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें ।

11—हाजत पंजी

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूमप्प के नियम 239ए में इस पंजी को संधारित किया जाना है । परन्तु इस थाना में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । यह सादे कागज में संधारित किया गया है । पंजी का अवलोकन किया और पाया कि यह मार्च 2004 तक ही लिखी गयी है । भरे गये पंजी में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस समय कौन सिपाही ड्यूटी पर है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है । समुचित ढंग से इसको नहीं भरा जाना उचित नही है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में इस पंजी को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दें एवं यह सुनिश्चित करें इसके सभी कॉलमों को भरा जाय । यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है,कॉलम खाली छोड़े जाते हैं और संयोगवश यदि बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गयी है । यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है । उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है ।

12—तख्ती नं0—1

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत् तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0—1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । इस तख्ती मे सरकारी सम्पत्ति की सूची रखी गयी है दिनांक—04.03.2004 तक ही लिखी गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि परिचारी प्रवर आरक्षी केन्द्र मोहनिया से सम्पर्क कर सरकारी सम्पत्ति की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर लें एवं अद्यतन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें । साथ ही सरकारी सम्पत्ति के साथ साथ थाना परिसर में रखे गये अन्य सरकारी वाहन एवं लावारिस

सम्पत्ति को भी दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सके एवं सरकारी सम्पत्ति को हड़पने या इसकी क्षति पहुचाने की समावना से बचा जा सके ।

13–तख्ती नं0–2

थाना मे पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम एव पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है । यह पजी संधारित है तथा अद्यतन है ।

14–तख्ती नं0–3

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र–प्राप्त कारखाने भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है । इस थाना में यह तख्ती संधारित है लेकिन प्रतिवेदन शून्य है ।

15–तख्ती नं0–4

इस तख्ती में आयुध,गोला बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है। इस थाना में तख्ती संधारित है लेकिन प्रतिवेदन शून्य है ।

16–तख्ती नं0–5

इस तख्ती में विष अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र–प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है किन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई पजी संधारित नहीं है। बताया गया कि इससे संबंधित कोई मामला थाना में नही है ।

17–तख्ती नं0–6

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञा पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना में दो शराब की दूकानें है एक देशी एवं एक अंग्रेजी ।

18–तख्ती नं0–7

इस तख्ती में लम्बित अन्वेषण काड से संबधित पदाधिकारियो का नाम अकित किया जाता है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना में लम्बित अन्वेषण से संबंधित 259 मामले हैं ।

19–तख्ती नं0–8

इस तख्ती में जूआ, गेसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । बताया गया कि इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

20–तख्ती नं0–9

इस तख्ती मे थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लगनेवाले हाट,बाजार एव मेले की सूचना अंकित रहती है । थाना प्रभारी द्वारा बतायागया कि थाना मुख्यालय को छोडकर अन्य कोई हाट,बाजार एव मेला इस क्षेत्र के अन्तर्गत नही लगता है ।

21–तख्ती नं0–10

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पचायतों के अध्यक्षों ,मुखियों, ग्राम पचायतों के सरपंचों एवं प्रखण्ड समितियों के अध्यक्षों के नाम लिखे जाते हैं । यह पंजी सधारित की गयी है लेकिन इसपर किसी का हस्ताक्षर नहीं है ।

22–तख्ती नं0–11

इस तख्ती में नियम 152 के तहत् निर्धारित प्रपत्र मे सूचना सधारित की जाती है । यह तख्ती सधारित है ।

23–तख्ती नं0–12

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस थाना में कुल दागी व्यक्तियों की संख्या–46 है जिनकी विवरणी निम्न प्रकार है –

कमाक	दागीसख्या	नाम/पिता का नाम	पता	अभियुक्ति
1	2	3	4	
1	ए/133	राम जी चमार पिता विदेशी चमार	ग्राम डडवा थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
2	ए/135	मुनीब नट पिता राम निवास नट	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
3	ए/136	शहाबुद्दीन नट पिता हबीब नट	सा0 दादर थाना मोहनिया जिला कैमूर	मासिक
4	ए/143	राधेश्याम सिह पे0 निहोडा सिह	सा0 अहिनौर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
5	ए/151	गुंगा गद्दी पे0 नन्हकू गद्दी	सा0मोहनिया,थाना मोहनियां,जिला कैमूर	मासिक
6	ए/145	अगद नट पे0 नाजिर नट	सा0 बेलहरी थाना मोहनिया,,जिला कैमूर	मासिक
7	ए/146	बिरजू नट पे0 अदालत नट	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
8	ए/147	मुशी नट पे0 रघुनन्दन नट	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
9	ए/148	रामबचन नट पे0 रामनिवास नट	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
10	ए/149	फौदार कोइरी पे0भगीरथ कोयरी	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
11	ए/150	गर्जन चमार पे0 कलपु चमार	सा0पानापुर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
12	ए/166	अमर विन्द पे0 बादशाह विन्द	सा0अलाडाही थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
13	ए/167	मुशी विन्द पे0 निठोहर विन्द	सा0अलाडाही थाना मोहनिया जिला कैमूर	मासिक
14	ए/168	निहजाम पे0शिवपूजन हजाम	सा0सकरौली थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
15	ए/176	शर्मा विन्द पे0गोविन्द विन्द	सा0 डडवा थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
16	ए/177	रामकेवल विन्द पे0 गोविन्द विन्द	सा0 डडवा थाना मोहनिया जिला कैमूर	मासिक
17	ए/178	झनकु विन्द पे0 झीगेर विन्द	सा0 डडवा थाना मोहनिया जिला कैमूर	मासिक

18	ए/179	रगबहादुर सिंह पे0 बरधार सिह	सा0सदासपुर थाना मोहनिया ज़िला कैमूर	मासिक
19	ए/181	शकर पासी पे0 रामराज पासी	सा0सकरौली थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
20	ए/182	चन्द्रमा विन्द पे0 गोविन्द विन्द	सा0 डडवा थाना मोहनिया जिला कैमूर	मासिक
21	ए/183	नन्दलाल सेठ पे0 गणेश सेठ	सा0व थाना मोहनिया जिला कैमूर	मासिक
22	ए/215	जयराम चमार पे0रामबचन चमार	सा0 बेलौड़ी थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
23	ए/216	हंसलाल उर्फ हीरालाल पे0 चन्द्रमा लाल	सा0 बेलौड़ी थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
24	ए/217	महेन्द्र सिंह पे0 शिवपूजन सिंह	सा0 बम्हौर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
25	ए/218	नन्दकिशोर सिह पे0सुदर्शन सिंह	सा0 बम्हौर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
26	ए/219	अवधेश लाल पे0 रामकुमार लाल	सा0 बम्हौर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
27	ए/220	सुरेश पासी पे0 धारी पासी	सा0 सम्हौता थानामोहनियां जिला कैमूर	मासिक
28	ए/222	महेन्द्र सिंह पे0 लल्लू सिंह	सा0 व थाना–मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
29	बी/76	शिवपूजननोनियापे0नथुनी नोनिया	सा0 व थाना–मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
30	बी/77	बचन पाल उर्फ ददन पाल पे0 ठगा पाल	सा0 पानापुर थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
31	बी0/170	अब्दुल रहीम पे0 जोखन तेली	सा0 व थाना मोहनियां जिला कैमूर	मासिक
32	ए/131	रामगुनी राम पे0 जोखन राम	सा0 अहिनौरा थाना मोहनियां जिला कैमूर	त्रैमासिक
33	ए/170	गामा विन्द पे0 बिकमा विन्द	सा0 सराय थाना मोहनियां जिला कैमूर	त्रैमासिक
34	ए/171	हरि मुशहर पे0 प्रसिद्धि मुशहर	सा0 वम्हौर थाना मोहनियां जिला कैमूर	त्रैमासिक
35	ए/172	केदार मुशहर पे0 प्रसिद्धि मुशहर	सा0 बम्हौर थाना मोहनियां जिला कैमूर	त्रैमासिक
36	ए/174	कमला अहिर पे0 जगदीश अहिर	सा0पटसेरवा थाना मोहनिया जिला कैमूर	त्रैमासिक
37	बी/166	मोती लाल पिता तुलसी लाल	सा0 व थाना मोहनियां जिला कैमूर	त्रैमासिक
38	बी0/199	श्रवण कुमार चमार पे0 शिवनाथ चमार	सा0 व थाना मोहनिया जिला कैमूर	त्रैमासिक
39	ए/130	घुरहु अहीर पे0 सुखदेव अहीर	सा0 भोखरी थाना मोहनियां जिला कैमूर	अर्द्ध वार्षिक
40	बी/58	सिदिक मियां पे0 हबीब मिया	सा0 सराय थाना मोहनियां जिला कैमूर	अर्द्ध वार्षिक
41	सी/19	बंशरोपन कोईरी पे0 हरि कोयरी	सा0 अर्रा थाना मोहनिया जिला कैमूर	अर्द्ध वार्षिक
42	बी/39	शिवमूरत नट पे0 रघुनन्दन नट	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर	वार्षिक
43	ए/99	लल्लू तिवारी पे0 झिगुर तिवारी	सा0 अवारी थाना मोहनियां जिला कैमूर	वार्षिक
44	ए/115	लाल जी गोंड पे0 मगेलू गोड	सा0 डूमरपोखर थाना मोहनिया जिला कैमूर	वार्षिक
45	ए/132	रामबचन पाण्डेय पे0 अम्बिका पाण्डेय	सा0 दिया थाना मोहनिया जिला कैमूर	वार्षिक

46	ए/163	देवनाथ कोयरी पे0 राममूरत कोयरी	सा0 सराय थाना मोहनियां जिला कैमूर	वार्षिक

24–तख्ती नं0–13

इस तख्ती मे सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इसमें तीन श्रेणी होती है ए,बी एवं सी श्रेणी । यह तख्ती संधारित है लेकिन यह 01.03.2004 के बाद नहीं लिखी गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर ~~अधोहस्ताक्षरी को~~ सूचित करें ।

25–तख्ती नं0–14

इस तख्ती मे अधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणिया दर्ज रहती है । यह तख्ती संधारित की गयी है लेकिन अद्यतन नहीं है । निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर सूचित करें ।

26–तख्ती नं0–15

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । इस थाना में यह तख्ती संधारित तो हैं लेकिन अद्यतन नहीं है । निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में इसको अद्यतन कर लिया जाय । बिहार हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जानेवाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त एक छपा हुआ थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा जिसपर शराब की भटिठयां, शराब की दूकानें,सार्वजनिक घाट,चौकीदारी यूनियन की सीमाएं,सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र चिपकायें जायेगें । किन्तु इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि नियम 131 के तहत् एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27–तख्ती नं0–16

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति,थाना नं0,गावों की सख्या, आबादी एवं क्षेत्रफल आदि रखी जाती है । किन्तु इस थाना में सरकारी अधिसूचना की प्रति संधारित नहीं की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय अथवा आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय से सरकारी अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर 15 दिनो के अन्दर संधारित करें एवं उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें ।

उपरोक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्तियां संधारित तो की गयी है किन्तु कुछ तख्तियों में अद्यतन सूचनाओं का अभाव है । थाना प्रभारी मोहनिया निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचनाओं को संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन देगें ।

28–सब इन्सपेक्टर नोट बुक

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत् फार्म स0–75 बी में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । परन्तु इस थाना में यह बुक संधारित नहीं किया गया है । बताया गया कि नोट बुक निजी डायरी में संधारित किया गया है एवं इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं/घटनाओं की सूचना दर्ज की जाती है ।

29. खतियान इन्सपेक्श रजिस्टर पार्ट–।

यह पंजी संधारित की गयी है। जिसका अवलोकन किया और पाया कि यह पंजी मार्च,2003 के बाद नहीं लिखी गयी हैं। यह पंजी इन्सपेक्टर के द्वारा संधारित किया जाना है जो नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

30. सी0डी0पार्ट–।

इसमे दागी व्यक्तियों (डोसियर्स) की सूची रखी जाती है। इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 46 दागी व्यक्ति है। विगत 10 वर्षों में कोई नया दागी व्यक्ति नाम नहीं दर्ज है।

31. सी0डी0 पार्ट–।।

इस पंजी मे सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते है। जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध सावित हो जाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एव अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है। यह पंजी संधारित की गयी है लेकिन इसके सभी कॉलम सही ढंग से नहीं भरे गय हैं। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में पूर्ण छानबीन कर खाली कॉलमो को भरकर एक सप्ताह मे अनुपालन प्रतिवेदन दें एवं भविष्य में सुनिश्चित करे कि कॉलमों को खाली नहीं रखा जाय।

33. सी0डी0पार्ट–।।।

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक,कृषि,साम्प्रदायिक,भु–विवाद,राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियों वर्षवार अंकित की जाती है। यह पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नही है। निदेश दिया जाता है कि इसको अद्यतन कर लिया जाय।

34–अल्फावेट अनुकमणी पंजी

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुकमणी पजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट–II से जानकारी ली जाती है ।अल्फावेट पंजी मे वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है जो किसी मामले में संलिप्त होते है । यह पंजी सी0डी0पार्ट–II मे अंकित व्यक्तियो के आधार पर बनाई जाती है । यदि इस पजी में अंकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है । निदेश दिया गया 10 दिन के अन्दर इसको अद्यतन करके अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाय ।

35–एम0ओ0 रजिस्टर

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत् फार्म स0–76ए मे एम0 ओ रजिस्टर का संधारण करना है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूट पाट किया गया अथवा नहीं,लाठी डंडा से मारपीट किया गया या नही,उनके द्वारा जाते समय क्या क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । यह पंजी संधारित की गयी है लेकिन अद्यतन नहीं है । निदेश दिया जाता है कि इसको अद्यतन कर अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

36–अप्राकृतिक मृत्यु

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी संधारित की गयी है । जिसका अवलोकन किया और पाया कि इस वर्ष कुल 07 लोगों की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है । मृत्यु का कारण बताया गया कि ये लोग बिजली का गिरने एवं लू लगने से मरे हैं ।

लम्बित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग से सबधित यू.डी.काण्ड संख्या–404 का अवलोकन किया और पाया कि इसको 304(बी) में परिवर्तित कर दिया गया है । समीक्षा के कम मे यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्सबंधी विवरणी अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजी जाती है । थाना प्रभारी मोहनिया को आदेश दिया जाता है कि अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग से संबंधित लम्बित मामलों की विवरणी अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिये जाय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि कौन मामला किस पदाधिकारी के यहा लम्बित है । इस थानास मे लम्बित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्न प्रकार है :–

कमाक	काड सख्या एव तिथि	जाच कर्त्ता पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	लम्बित रहने का कारण
1	2	3	4
1	मोहनिया यू.डी.काड स0–06 / 04 दिनाक–31.12.04	अ0 नि0 आर.पी.सिह,	
2	मोहनिया यू.डी.काड स0–02 / 95 दिनाक–17.04.95	अ0 नि0 आर.पी.सिह	
3	मोहनिया यू.डी.काड स0–03 / 95 दिनाक–19.05.95	स0 अ0 नि0 बी.के.शर्मा	

4	मोहनियां यू.डी.कांड स0–02/96 दिनाक–01.05.95	अ0नि.तुफैल अहमद	
5	मोहनियां यू.डी.काड स0–03/96 दिनाक–06.05.95	अ0 नि. तुफैल अहमद	
6	मोहनियां यू.डी.काड स0–06/97 दिनाक–23.09.97	स0 अ0 नि0 सी0 पासवान	
7	मोहनियां यू.डी.काड स0–01/98 दिनाक–23.03.98	अ0 नि0 श्याम सुन्दर पाण्डेय	
8	मोहनियां यू.डी.काड स0–05/98 दिनाक–16.10.98	अ0 नि0 एस0 डी0ठाकुर	
9	मोहनियां यू.डी.काड सं0–02/99 दिनाक–15.04.99	अ0 नि0 श्याम सुन्दर पाण्डेय	
10	मोहनियां यू.डी.काड सं0–06/99 दिनाक–26.10.99	स0 अ0 नि0 गोपाल मिश्र	
11	मोहनियां यू.डी.काड स0–02/03 दिनाक–26.07.02	स0 अ0 नि0 गोपाल मिश्र	
12	मोहनियां यू.डी.काड स0–04/03 दिनाक–22.08.03	अ0 नि0 हरिमोहन कुमार	
13	मोहनिया यू.डी.काड स0–06/03 दिनाक–06.12.03	अ0 नि0 एस0एस0 यादव	
14	मोहनियां यू.डी.काड स0–01/04 दिनाक–26.02.04	अ0 नि0 हरिमोहन कुमार	
15	मोहनियां यू.डी.काड स0–02/04 दिनाक–18.04.04	अ0 नि0 नवल किशोर राम	
16	मोहनिया यू.डी.कांड सं0–03/04 दिनाक–15.05.04	अ0 नि0 नवल किशोर राम	
17	मोहनियां यू.डी.काड स0–04/04 दिनाक–20.05.04	अ0 नि0 नवल किशोर राम	
18	मोहनिया यू.डी.काड स0–05/04 दिनाक–01.06.04	अ0 नि0 आर.के. वर्मा	
19	मोहनिया यू.डी.कांड स0–06/04 दिनाक–03.06.04	अ0नि0 आर.के.वर्मा	
20	मोहनिया यू.डी.कांड सं0–07/04 दिनाक–08.06.04	स0 अ0 नि0 वी.एम.हेस्सा	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कमांक 2 से 13 तक मामले बहुत लम्बी अवधि से लम्बित चले आ रहे है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है किबहुत लम्बी अवधि से लम्बित 12 काण्डों का निष्पादन शीघ्रतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी मोहनिया भी अपने स्तर से इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें ।

37–अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी

अनुसूचिज जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत् दर्ज किये गये मामलों की पंजी सधारित नहीं की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पजी सधारित कर शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में आम लोगो को जानकारी मिल सके एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगो का विश्वास बढे। जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार मे अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है,उन्हे समुचित मदद नहीं की जाती है । विदित हो कि जी.टी.रोड पर अवस्थित होने के कारण मोहनिया

थाना क्षेत्र संवेदनशील है एवं आए दिन इस क्षेत्र के संबध मे विभिन्न प्रकार की शिकायते प्राप्त होती रहती है । अतः थाना प्रमारी इसपर विशेष ध्यान दे एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

38–रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :–

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत् फार्म सं0–67 में यह पंजी संधारित करना है इस थाना में इस पंजी के संधारित होने की बात बताई गयी लेकिन माग करने पर उपस्थापित नहीं किया जा सका । बताया गया कि मालखाना के प्रमारी अवकाश में है और यह पजी उन्हीं के प्रमार में है । थाना प्रमारी को निदेश दिया जाता है कि मालखाना प्रमारी को अवकाश से वापस लौटने के पश्चात आर्म्स डिपोजिटेड की विवरणी उपलब्ध करावें ।

39–दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत् फार्म सं0–6ए में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । परन्तु आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है । नियम 59(क) में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि ''प्रपत्र संख्या–6ए में,जो नित्य प्रेषित किया जायेगा,उन केशो का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते है । आरक्षी निरीक्षक इन रिर्पोटों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगें जो इन्हें कमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेगें'' आरक्षी निरीक्षक मोहनिया को निदेश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

40–चौकीदारी पंजी

पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत् विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया जाना है । इस पंजी में 19 कालम है । इस थाना में यह पजी संधारित की गयी है जिसके अनुसार इस थाना में पदस्थापित कुल दफादारो एवं चौकीदारों की संख्या 53 है । स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापित दफादारों/चौकीदारों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

कमांक	महाल/बीट सख्या	पदनाम	नाम	गृह पता
1	1	दफादार	अखिलेस राम	ग्राम–मोहनियां थाना मोहनियां,जिला कैमूर
2	1/3	चौकीदार	पूर्णमासी पासवान	सा0 बडीमोहनियां थाना मोहनियां जिला कैमूर
3	1/4	चौकीदार	जगली मुशहर	सा0 मोहनिया थाना मोहनियां जिला कैमूर
4	1/6	चौकीदार	बंश नारायण यादव	सा0 मरखर थाना–मोहनियां जिला कैमूर
5	1/7	चौकीदार	बाबुलाल पासवान	सा0 मोहनिया थाना मोहनिया जिला कैमूर

6	2	दफादार	प्रमोद कुमार यादव	सा0 उसरी थाना मोहनिया जिला कैमूर
7	2/1	चौकीदार	लाल बहादुर पासवान	सा0 कुराई थाना मोहनिया जिला कैमूर
8	2/2	चौकीदार	शिवधारी पासवान	सा0 उसरी थाना मोहनियां जिला कैमूर
9	2/3	चौकीदार	मुखलाल पासवान	सा0 अकोढ़ी थाना मोहनियां जिला कैमूर
10	2/6	चौकीदार	नन्हकू पासवान	सा0 जयपुर थाना मोहनियां जिला कैमूर
11	3	दफादार	धर्मदेव सिंह	सा0 अलाडीह थाना मोहनिया जिला कैमूर
12	3/1	चौकीदार	रामाशंकर सिंह यादव	सा0 बरैथ थाना मोहनियां जिला कैमूर
13	3/2	चौकीदार	सनाउवर मिया	सा0 भिरखिरा थाना मोहनिया जिला कैमूर
14	3/3	चौकीदार	रामकृत राम	सा0 सियापोखर थाना मोहनियां जिला कैमूर
15	3/4	चौकीदार	शिवमूरत यादव	सा0 बम्हौर थाना मोहनियां जिला कैमूर
16	3/5	चौकीदार	रामकेवल पासवान	सा0 पतेलवा थाना मोहनिया जिला कैमूर
17	3/6	चौकीदार	खरपतु राम	सा0 पट्टी थाना मोहनियां जिला कैमूर
18	3/7	चौकीदार	रविन्द्र कुमार यादव	सा0 तुलसीपुर थाना मोहनियां जिला कैमूर
19	4	दफादार	श्रीराम तिवारी	सा0 दादर थाना मोहनिया जिला कैमूर
20	4/1	चौकीदार	असलम अन्सारी	सा0 बघिनी थाना मोहनियां जिला कैमूर
21	4/5	चौकीदार	बसन्त पासवान	सा0 बैरी थाना मोहनिया जिला कैमूर
22	4/6	चौकीदार	श्याम लाल पासी	सा0 घेधिया थाना मोहनियां जिला कैमूर
23	4/7	चौकीदार	ललन पासवान	सा0 दादर थाना मोहनियां जिला कैमूर
24	5	दफादार	ब्रह्मदेव पाण्डेय	सा0 मरीचा थाना मोहनियां जिला कैमूर
25	5/1	चौकीदार	रामज्ञानी पासवान	सा0 भोखरी थाना मोहनियां जिला कैमूर
26	5/2	चौकीदार	रामाशीष पासवान	सा0 मरीचा थाना मोहनियां जिला कैमूर
27	5/3	चौकीदार	जगरनाथ यादव	सा0 मरीचा थाना मोहनियां जिला कैमूर
28	5/4	चौकीदार	हरिलाल पासवान	सा0 भटौली थाना मोहनियां जिला कैमूर
29	5/5	चौकीदार	बाल किशुन यादव	सा0 केशोपुर थाना मोहनियां जिला कैमूर
30	5/7	चौकीदार	राम बडाई पासवान	सा0 भोखरी थाना मोहनियां जिला कैमूर
31	6	दफादार	प्रमोद कुमार शुक्ला	सा0 सुकुलपिपरा थाना मोहनियां जिला कैमूर
32	6/1	चौकीदार	नरेन्द्र पासी	सा0 रामपुर थाना मोहनियां जिला कैमूर
33	6/2	चौकीदार	कल्पनाथ पासी	सा0 शुक्लपिपरा थाना मोहनियां जिला कैमूर

34	6/3	चौकीदार	सुरेश पासवान	सा0 मुजान थाना मोहनियां जिला कैमूर
35	6/6	चौकीदार	बालदेव यादव	सा0 सेमरिया थाना मोहनियां जिला कैमूर
36	7	दफादार	बबन पाण्डेय	सा0 लहुरीबारी थाना मोहनियां जिला कैमूर
37	7/1	चौकीदार	विगाउ यादव	सा0 बधिनी कला थाना मोहनियां जिला कैमूर
38	7/2	चौकीदार	राम बदन राम	सा0 कटरा कला थाना मोहनियां जिला कैमूर
39	7/3	चौकीदार	यमुना पाल	सा0 करमहरी थाना मोहनियां जिला कैमूर
40	7/4	चौकीदार	राम राज हरिजन	सा0 कटरा कला थाना मोहनियां जिला कैमूर
41	8	दफादार	मीर आलम गीर	सा0 जीतापुर थाना मोहनियां जिला कैमूर
42	8/1	चौकीदार	गंगा पासवान	सा0 बडकी पुसौली थाना मोहनियां जिला कैमूर
43	8/2	चौकीदार	इसरार अहमद	सा0 पतेलवा थाना मोहनियां जिला कैमूर
44	8/3	चौकीदार	विजय कुमार पासवान	सा0 ममरेजपुर थाना मोहनियां जिला कैमूर
45	8/4	चौकीदार	राम जी पासवान	सा0 पुसौली थाना मोहनियां जिला कैमूर
46	8/5	चौकीदार	विरेन्द्र कुमार यादव	सा0 बरहुली थाना मोहनियां जिला कैमूर
47	8/7	चौकीदार	श्री भगवान पासवान	सा0 अमेठ थाना मोहनिया जिला कैमूर
48	9/1	चौकीदार	बजरंगी पासवान	सा मझाडी थाना मोहनियां जिला कैमूर
49	9/2	चौकीदार	कालिका पासवान	सा0 बरेज थाना मोहनियां जिला कैमूर
50	9/3	चौकीदार	रामसूरत पासवान	सा0 बेलौडी थाना मोहनियां जिला कैमूर
51	9/4	चौकीदार	मदन पासवान	सा0 मुठानी थाना मोहनियां जिला कैमूर
52	9/5	चौकीदार	बूटन पासवान	सा0 बडकापकडीहार थाना मोहनियां जिला कैमूर
53	9/7	चौकीदार	सलाउद्दीन साईं	सा0 बेलौड़ी थाना मोहनियां जिला कैमूर

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस थाना में स्वीकृत बल की स्थिति क्या है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत बल से संबधित सूचना आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर संधारित करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस पद के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति क्या है तथा कितना पद रिक्त है ।

41–चौकीदार डिपोजिशन पंजी

इस थाना मे यह पजी सधारित की गयी है जो अत्यन्त ही जर्जर स्थिति मे है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि इस पंजी की मरम्मति करा ले तथा अद्यतन प्रविष्टि इसमें अकित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

42–मालखाना पंजी

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के तहत् फार्म सख्या–51 मे मालखाना पंजी को सधारित करना है । इस पजी में (क) लावारिस सामान (ख)जब्त सम्पत्ति (ग)कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति (घ) अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गयी सम्पत्ति दर्ज की जाती है । अवलोकन हेतु पंजी की मांग किये जाने पर बताया गया कि मालखाना पजी के प्रभारी अवकाश में है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि प्रभारी के अवकाश से वापस लौटने के पश्चात सभी सामग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित करते हुए आवश्यक जानकारी के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें ।

43–मालखाना रिसीट भाउचर पंजी

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी सामग्री (प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है उक्त आदेश की प्रति पेस्ट करके रखी जाती है । यह पजी दो भाग में होती है । प्रभारी के अवकाश मे रहने के कारण इस पंजी का अवलोकन नहीं किया जा सका ।

44–अनुक्रमणी पंजी

इस थाना में कितने तरह की पजियां अथवा संचिकायें संधारित की गयी है उसकी अनुक्रमणी पजी तैयार की गयी है लेकिन उसमें प्रविष्टि का तरीका सही नही है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजी का सधारण सुनिश्चित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें । यदि आवश्यकता हो तो इस संबध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी से भी दिशा निदेश प्राप्त किया जा सकता है ।

45–गुण्डा पंजी

इस थाना में गुण्डा पंजी नहीं संधारित की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि गुण्डा पंजी तैयार कर विगत पाच वर्षों की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें ।

46–अपराध आंकड़ा पंजी

इस थाना में अपराध आंकडा पंजी संधारित नहीं की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि यह पंजी महत्वपूर्ण पजी है इसलिए इसका संधारण सुनिश्चित करें और अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन दें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक को भी इसपर निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

47–पत्राचार

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत् प्रपत्र सख्या–119अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या–119आ में निर्गत पत्रों की पजी सधारित करना है जिसमें(1)न्यायालय से संबंधित (2) विमाग से संबंधित (3) सीमावर्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । यह पंजी संधारित है लेकिन विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । इस थाना में सभी पत्रों के लिए एक ही पंजी सधारित है जो उचित नहीं है ।थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में विहित प्रकिया के अनुसार पत्रों की पंजी संधारित करना सुनिश्चित करे ।

48–कान्सटेबुल नोटबुक

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत् कॉन्सटेबुल नोट बुक संधारित करना है जिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबुल द्वारा कौन कौन सा कर्तव्य सम्पन्न किया गया है किस कार्य से कहा कहा गया इत्यादि । किन्तु इस थानास में कॉन्सटेबुल नोट बुक संधारित नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर इसको संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देगें ।

49–प्राथमिकी पंजी

इस थाना में प्राथमिकी पंजी संधारित की गयी है 1 प्राथमिकी पजी का अवलोकन किया । इस पंजी के कमांक 3031701 से 3031750 का अवलोकन किया । निरीक्षण की तिथि तक इस वर्ष इस थाना में कुल 120 प्राथमिकी दर्ज किये गये है । यह पंजी 5 प्रतियों में होती है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक ,तिसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक एवं पाचवी प्रति थाना में रखी जाती है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार मे अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूंकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है तो उसकी बात पूरी तत्परता से सुनकर प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करे ।

50–अप्राथमिकी पंजी

समीक्षा के कम मे थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत वारंटों में से कितने वारंट का कार्यान्वयन हुआ है उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाय । इसके अतिरिक्त नीलाम पत्र के मामलों में कितने आदेश प्राप्त हुए है उसमें से कितने आदेश का कार्यान्वयन हुआ है और कितना लम्बित है उसकी भी सूची उपलब्ध कराई जाय । इसके बाद निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. धारा 107 का कार्यान्वयन किया जाय ।
2. प्रतिदिन का प्रतिवेदन भेजा जाय ।

3. संधारित की गयी सभी पंजी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है इसको वाइडिंग करा दिया जाय।

51. चरित्र सत्यापन

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 92क में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु विशेष निदेश दिये गये है। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस वर्ष प्राप्त चरित्र सत्यापन के आवेदन पत्रों की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगें कि चरित्र सत्यापन के जो भी मामलें प्राप्त होते है उनका निष्पादन अधिकतम सात दिनों के अन्दर कर सबंधित विभाग को लौटा दें ताकि संबधित व्यक्ति को नियोजन से वंचित नहीं होना पड़े।

52. सम्मान गार्ड

निरीक्षण हेतु पहूँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गयी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण हेतु पहूँचने के बाद भी आरक्षियों को चुस्त–दुरूस्त नही दिखायी दिया। थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करें।

53. थाना प्रभारी का कर्त्तव्य

थाना प्रभारी से पूछने पर कि उनका कर्त्तव्य क्या है,स्पष्ट नहीं बता सके जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है। बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81क में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है उसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

1. अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना।
2. अपराध और अपराधियों,संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलंब ब्योरे पाना।
3. अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी बरतना।
4. अपराधी निदेशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना।
5. सड़क गश्त की व्यवस्था करना।
6. अपजीविका के केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना।
7. समावर्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना।

थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों के साथ–साथ अन्य निदेशों का अनुपालन सख्ती से करे।

54. अन्यान्य

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा अशिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है। अतः थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि गवाह प्रस्तुत करने के

लिए जो सम्मन भेजे जाते है । उसका तामिला निर्धारित समय सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेगें एवं केश डायरी की मांग किये जाने पर ससमय उपलब्ध करायेगें ।

(ख) ए0पी0पी0 द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लम्बित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगें ।

(ग) नीलाम पत्र वादों में निर्गत डी0 डब्ल्यू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लायी जा सके ।

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(च) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें । चरित्र सत्यापन का प्रतिवेदन ससमय भेजें ।

55. **निष्कर्ष**

कुल मिलाकर मोहनियां थाना का कार्यकलाप संतोषप्रद ही कहा जा सकता है । थाना प्रभारी को स्वयं तथा अपने अधीनस्थों को चुस्त–दुरूस्त एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखने की आवश्यकता है । पंजियों का संधारण सही ढ़ंग से एवं विहित प्रकियानुसार नहीं किया जा रहा है । त्रुटियों के निराकरण हेतु निदेश दे दिये गये है । यदि उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाता है तो इस थाना के कार्यकलाप में गुणात्मक सुधार आ जायेगा । चूंकि मोहनियां थाना राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–2 (जी0टी0रोड) पर अवस्थित है । अतएव थाना प्रभारी को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग एवं सचेष्ट रहने की आवश्यकता है ।

ह0/-
(बी0 राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– 503/गो० दिनांक– 23 मार्च, 2005

प्रतिलिपि मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि गृह सचिव,गृह(आरक्षी) विभाग विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन) बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र,बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक,शाहाबाद प्रक्षेत्र डालमियांनगर डिहरी को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी मोहनियां को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajender 23.3.2005

(बी0 राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)